(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

प्रहलाद बनाम दुर्गालाल वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 33 सन् 2025

2025/212

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 09.05.25 | पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिपक्षीगण जारी हो। पत्रावली दिनांक 05.06.2025 को पेश हो।<br><br>उप खण्ड अधिकारी<br>पीपलू (टोंक) | |
| 5/6/25 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली मय आदेशिका अनुसार दिनांक 12/6/25 पेश हो। | |
| 12.06.25 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली मय आदेशिका अनुसार दिनांक 26/6/25 पेश हो। | |
| 20.06.25 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 की ओर से अधिवक्ता श्री चतुर्भुज गुर्जर ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस का निवेदन किया की विवादित आराजीयात ख0न0 42 वाके ग्राम मवासीपुरा, पटवार हल्का नाथडी में स्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है। उक्त वर्णित आराजीयात से प्रतिपक्षीगण का कोई संबंध सरोकार नही है, लेकिन प्रतिपक्षीगण बिना किसी वैध अधिकार के अपनी ताकत के बल पर जोर जबरदस्ती से प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे की वे<br><br>उप खण्ड अधिकारी<br>पीपलू (टोंक) | |

20/06/2025

उक्त वर्णित आराजीयात से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे एवं बिना किसी वैध अधिकार के कब्जा कर काश्त करने का प्रयास नही करे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया की प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त नही है। कदीमी समय से ही प्रतिपक्षीगण का उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त है। इस कारण प्रतिपक्षीगण को किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। फिर भी यदि मौके की यथास्थिती से पाबंद किया जाता है, तो प्रतिपक्षीगण को कोई विधिक आपत्ति नही है। अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण ने सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर भी किये है।

पत्रावली व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया जाकर उभयपक्ष की सहमति के आधार अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है एवं उभयंपक्ष को पाबन्द किया जाता है की वे आगामी आदेश तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिपक्षी संख्या 01 लगायत 04 व तलबी प्रतिपक्षी संख्या 05 दिनांक 20.08.2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

20/8/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली [illegible] आदेशिका अनुसार दिनांक 30/10/25 पेश हो।

30/10/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। मूल वाद Note press किये जाने के कारण प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इसी स्तर ड्रोप की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।

Notpress

[illegible]

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner